भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1064
जिसका उत्तर गुरुवार, 10 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

विचाराधीन कैदियों के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालयों को स्थापित किए जाने का प्रस्ताव

1064 # डा. किरोड़ी लाल मीणा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के विभिन्न जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों को न्याय दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में कोई सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : वर्तमान में, देश के विभिन्न कारागारों में विचारणाधीन कैदियों को न्याय दिलाने के लिए त्वरित निपटान न्यायालय के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) से (घ) : उपरोक्त (क) को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न नहीं उठता है ।

****